कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 4782 / 12 गोपेश्वर, दिनांक 23/04/ 2025

आवती सं० :
फाईल सं० :
दिनांक :

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गौचर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है0 लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय के पत्रांक 2250 / 12–1, दिनांक 22.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन0पी0वी0 की दरों में भारत सरकार के फाईल सं0 5–3 / 2011–FC(Vol-1), दिनांक 19.01.2022 को पुर्ननिर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुर्ननिर्धारित एन0पी0वी0 की दरों के लागू होने के तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के फाईल सं0 5–3 / 2011–FC(Vol-1), दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे–

1. ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2(II) के तहत दिनांक 06.01.2022 के पश्चात् प्राप्त हुये हो।
2. ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2(II) के अन्तर्गत 05 वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात दिनांक 06.01.2017 से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु Stage-II को अनुमोदन दिनांक 06.01.2022 तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय का निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन0पी0वी0 दरों की परिधि में आच्छादित है कि कम में अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

क0 सं0	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है
1	जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है0 लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव	12.11.2018	2.23 X 845000.00 =18,84,350.00	2.23 X 1292850.00 = 2883055.50 (अवशेष धनराशि) = 9,98,705.50 say 9,98,706.00

सुलभ सन्दर्भ हेतु भारत सरकार के उक्त पत्र को छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

26/4/25

26/4

भवदीय,

(तरुण एस0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(तरुण एस0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।